पत्र नम्बर 18/2023
...लो बनाम अजय कुमार वगैरा
पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटीए

...महेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
प्रार्थीया

विरूद्ध

...य कुमार पुत्र बख्तावरराम
...प कुमार पुत्र बख्तावरराम
...नोद कुमार पुत्र बख्तावरराम
...मोहन पुत्र जागरराम
...ी चन्द पुत्र जागरराम
...भाष पुत्र जागरराम
...रस्वती पत्नि जागरराम
...ताराचन्द पुत्र पूर्णराम
...मदनलाल पुत्र पूर्णराम
10. राजाराम पुत्र पूर्णराम
11. रामप्रताप पुत्र पूर्णराम
12. तुलसीदेवी पत्नि रणवीर कुमार
13. प्रदीप कुमार पुत्र सोहन लाल
14. रमेश कुमार पुत्र विजय कुमार
15. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ (राज.)

अप्रार्थीगण

—:आदेश:—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के नाम चक नं. 7 बीजीपी ज.स. 2073—2076 के खाता संख्या 37/12 में 1.771 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम चक 7 बीजीपी ज.स. 2073—2076 के खाता संख्या 86/12 में 1.852 है. व अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 के नाम इसी चक के खाता संख्या 89/12 में 1.948 है. व अप्रार्थी संख्या 8 ता 11 के नाम इसी चक के खाता संख्या 78/12 में 2.150 है. व अप्रार्थी संख्या 12 ता 14 के नाम इसी चक के खाता संख्या 29/12 में 2.038 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खाता की जमाबन्दी सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि चक नं. 7 बीजीपी ज.स. 2073—2076 के खाता संख्या 37/12 के प.न. 203/147 मु.न. 21 किला नं. 21,22,23 व प.न. 203/148 मु.न. 24 के किला नं. 1,2,9,10 में आने जाने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थीया अपने कब्जाकाश्त की भूमि में आने जाने हेतु चक नम्बर 7 बी.जी.पी. में प.न. 203/147 मु.न. 21 के किला नं. 24 में 0.025 है. व किला नं. 25 में 0.022 है. कुल 0.048 है. दक्षिण दिशा में किला नं. 4 व 5 से चिपता पूर्व पश्चिम लम्बा में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। प्रार्थीया उक्त रास्ता के एवज में बजार मूल्य देने को तेयार व तत्पर है। इसलिए प्रार्थीया उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन किया कि अप्रार्थीगण चक नम्बर 7 बी.जी.पी. में प.न. 203/147 मु.न. 21 के किला नं. 24 में 0.025 है. व किला नं. 25 में 0.022 है. कुल 0.048 है. दक्षिण दिशा में किला नं. 4 व 5 से चिपता पूर्व पश्चिम लम्बा में रास्ता स्वीकृत करवा देवें व प्रार्थी से उक्त रास्ता के एवज में बजार मूल्य प्रार्थीया से प्राप्त कर लेवे। परन्तु अप्रार्थीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु बाद में प्रार्थीया की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही प्रार्थना पत्र का कारण है।

अतः प्रार्थना पत्र 251—ए आरटीए प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक नम्बर 7 बी.जी.पी. में प.न. 203/147 मु.न. 21 के किला नं. 24 में 0.025 है. व किला नं. 25 में 0.022 है. कुल 0.048 है. दक्षिण दिशा में किला नं. 4 व 5 से चिपता पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत कर इसी अनुसार चालू करवावें।

प्रार्थना—पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 व 12 ता 14 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 11 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निरस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने उन्होने अपने पत्र क्रमांक 740 दिनांक 09.12.2024 द्वारा पक्षकार आपस मे सहमत नही व प्रार्थीया को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना एवं रास्ता स्वीकृत किये जाने की शा की गई।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्तां की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है के आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट्तया प्रकट होता है कि र्थीया की कृषि भूमि चक 7 बीजीपी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्दा रास्ते का भाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक नम्बर 7 बी.जी.पी. में प.न. 203/147 मु.न. 21 के किला नं. 24 में 0.025 है. व किला नं. 25 में 0.022 है. कुल 0.048 है. दक्षिण दिशा में किला नं. 4, 5 से चिपता पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता डीएलसी की 2 गुणा राशि 15 दिवस में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये जाने के बाद प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत शुमार समझा जावे और इसका अंकन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर चालू करवाया जावें। अप्रार्थी को जमा राशि का भुगतान उनके कब्जे अनुसार भू.अ.निरीक्षक की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा किया जाना सुनिशिचित करावे, तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 28/2/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया